



# राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी

भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859

फैक्स नं. - 0755-2462136

No: 1493 / SEIAA/2022

Date:

30/8/22

प्रति,

श्री योगेश खरे

निवासी खरे बिल्डिंग गांधीगंज

पोस्ट एवं जिला कटनी (म.प्र.)

विषय :- प्रकरण क्र. 5617/2017 परियोजना प्रस्तावक श्री योगेश खरे निवासी खरे बिल्डिंग गांधीगंज पोस्ट एवं जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा लाईम स्टोन व डोलोमाईट खदान, (ओपनकास्ट फुली मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 25266 टन प्रतिवर्ष रकबा 1.870 हेक्टेयर, खसरा 503, नवीन 867, 955, ग्राम रूपौंद, तहसील बड़वारा, जिला कटनी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रकरण पर 743वी SEIAA बैठक दिनांक 29.08.2022 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया .....

" राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की 589वी बैठक दिनांक 17.08.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरण स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश के आधार पर गूगल ईमेज अनुसार प्रस्तावित खदान के मध्य भाग में एक कच्चा रास्ता (पब्लिक रोड) परिलक्षित हो रही है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला कलेक्टर कटनी से खदान से नियमानुसार निर्धारित दूरी पर ग्रामवासियों के आवागमन की सुविधा के दृष्टिगत वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराये जाने के संबंध में (जो कि खदान से लगभग 100 मीटर की दूरी पर स्थित हो) लिखित स्वीकृति/सहमति प्राप्त कर 15 दिवस में SEIAA की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जावे। तदनुसार प्रकरण पर विचार किया जायेगा।"

उपरोक्त निर्णयानुसार जिला कलेक्टर कटनी से खदान से नियमानुसार निर्धारित दूरी पर ग्रामवासियों के आवागमन की सुविधा के दृष्टिगत वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराये जाने के संबंध में (जो कि खदान से लगभग 100 मीटर की दूरी पर स्थित हो) लिखित स्वीकृति/सहमति प्राप्त कर 15 दिवस प्रस्तुत करें।

क्र..

1494


/SEIAA/2021


भोपाल दिनांक

30/8/22

प्रतिलिपि :-

1. जिला कलेक्टर, जिला कटनी (म.प्र.) की ओर सूचानार्थ।

  
% (श्रीमन् शुक्ला)  
सदस्य सचिव

  
% सदस्य सचिव